संचिका स0–10 / विविध–16–21 / 2024......124(10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक–25/02/2025

विषय:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में पायलट परियोजना के रूप में पटना एवं अन्य प्रमण्डलीय मुख्यालय तथा जिला मुख्यालयों में आधुनिक नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु कुल 29,16,00,000/–(लगभग उन्नतीस करोड़ सोलह लाख) रुपये के योजना की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

राज्य की नगरीय आबादी का एक बडा तबका विशेषकर असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाली बड़ी आबादी को अपने चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने कार्य के घंटों में वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा संस्थानों में जाना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग सामान्यतः स्थापित चिकित्सा केन्द्रों से दूर शहर के बाहर अथवा शहर के अंदर घनी आबादी, झुग्गी–झोपड़ी अथवा अनियोजित कस्बों में रहते हैं। फलस्वरूप इनमें से अधिकांश को इसके लिए अपने रोजगार को छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके कारण उनको प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक का नुकसान भी होता है। महिलाओं और बच्चों के अतिरिक्त बुजुर्ग व्यक्तियों को इसके कारण काफी परेशानी होती है और प्रायः उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बनी रहती है।

2– उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनके निवास क्षेत्र में ही संध्याकालीन प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु आधारभूत संरचना विकसित कर वहाँ चिकित्सकीय तथा नैदानिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

3– अतः प्रथम चरण में पायलट परियोजना के रूप में पटना एवं अन्य प्रमण्डलीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों में इस प्रकार की आबादी के निवास स्थान के समीप उपलब्ध सार्वजनिक उपयोग के भवनों को चिन्हित कर (अनुपलब्धता की स्थिति में किराए के भवन में) वहाँ आवश्यक उपस्कर आदि की व्यवस्था, बिजली, पानी की व्यवस्था सहित इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराते हुए न्यूनतम एक MBBS चिकित्सक, दो नर्सिंग स्टाफ तथा अन्य सहयोगी स्टाफ के साथ निःशुल्क आवश्यक चिकित्सीय तथा नैदानिक सुविधायें एवं BMSICL से प्राप्त निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक आधुनिक नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– इस पायलट परियोजना में पटना में 10, अन्य प्रमण्डलीय मुख्यालयों में पाँच–पाँच तथा सभी अन्य जिला मुख्यालयों में दो–दो केन्द्रों अर्थात कुल 108 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें औसतन प्रति केन्द्र प्रतिदिन 75 मरीजों को प्रति मरीज 125/– रूपये की दर से माह के 24 दिनों तक (अवकाश के दिनो को छोडकर) चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर रूपये 29,16,00,000/–(लगभग उन्नतीस करोड सोलह लाख रूपये मात्र) के व्यय का अनुमान है। इस व्यय का वहन माग संख्या–20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–ऐलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0129–आधुनिक नगर चिकित्सा सुविधा केन्द्र, विपत्र कोड–20–2210011100129 में उपबंधित राशि से किया जायेगा। बिहार चिकित्सा सेवाएं एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना (BMSICL) को इन केन्द्रों पर निःशुल्क दवाओं की आपूर्ति के लिए दवा मद का भुगतान सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड–20–2210–01–110–0013 अंतर्गत दवा भंडार (21–02) मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5– इस पायलट परियोजना का कार्यान्वयन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा किया जाएगा, जो यह कार्य खुली निविदा से चयनित अनुभवी एजेंसी के माध्यम से करेगी। चयनित एजेंसी द्वारा पायलट स्तर पर इस योजना का संचालन नगर विकास एवं आवास विभाग के सहयोग से 108 केन्द्रों पर किया जायेगा। इन केन्द्रों को आवश्यक आधारभूत संरचना/उपस्कर, समुचित प्रसाधन तथा बिजली–पानी की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य में नगर विकास एवं आवास

124(10)
25-02-2025

विभाग का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। सबधित नगर निकायों द्वारा उक्त केन्द्रों की साफ–सफाई एवं सुरक्षा का दायित्व निर्वहन किया जाएगा।

6– एजेंसी प्रत्येक केन्द्र पर अपने खर्च पर आवश्यक मानव बल उपलब्ध कराएगी तथा चिकित्सा व्यवस्था के हर पहलू को सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित करेगी। मरीजों को निःशुल्क दवाओं की आपूर्ति सदर एवं अनुमंडल अस्पताल मद मे आवंटित राशि के अंतर्गत बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना (BMSICL) के माध्यम से एजेन्सी द्वारा की जायेगी। चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत चिकित्सीय परामर्श सहित आवश्यकतानुसार न्यूनतम बुनियादी नैदानिक जॉच यथा डायबीटिज, रक्ताल्पता, गर्भावस्था, ECG, ब्लडप्रेशर, SPO_2 , सर्दी–खॉसी, बुखार संबंधी जॉच सन्निहित होगी, जिन्हें चयनित एजेन्सी द्वारा मरीजों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। उपर्युक्त बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से इतर आवश्यकता होने पर मरीजों को उच्चतर संस्थानों में रेफर किया जा सकेगा।

7– उक्त कार्य पर होने वाले व्यय का वहन मांग सख्या–20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–ऐलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0129–आधुनिक नगर चिकित्सा सुविधा केन्द्र, विपत्र कोड–20–2210011100129 अंतर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

8– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना होंगे।

9– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

10– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशसा ज्ञापांक–10/विविध–16–21/2024–761(10) दिनांक–23.12.2024 द्वारा प्राप्त है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति संचिका सं0–10/विविध–16–21/2024 के पृष्ठ–24/टि0 पर प्राप्त है।

13– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

14– संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव ।

124(10)
25-02-2025

ज्ञापांकः— 10 / विविध—16—21 / 2024-124(10) / स्वा0, पटना, दिनांक—25 / 02 / 2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त एवं अन्य जिला मुख्यालयों के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/2/25

सरकार के अपर सचिव ।